कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail : pccf-development@gov.in   ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-11/2020-670   **दिनांक :** 04/11/2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/देवघर वन प्रमंडल, देवघर/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों, सड़क किनारे के रख-रखाव कार्य के लिए कुल **रू0 282.918 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख एकानबे हजार आठ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-25/2020-12/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.10.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-25/2020-25/आ0 व0प0 दिनांक 02.11.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-59 अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 282.918 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख एकानबे हजार आठ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	116.172
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	166.746
कुल :-		**282.918**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यो की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। जिन पार्कों के रख–रखाव कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त है, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पार्क का स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

10. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास नियंत्री पदाधकारी को सहयोग करेंगे एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(v) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vi) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Invome Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

13. **(i)** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वितीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(iv) कंडिका–14 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. प्रस्ताव एवं प्रारुप पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन दिनांक–19.09.2020 को अग्रांकित शर्तों के साथ प्राप्त है :–

(i) सभी पार्कों में प्रवेश शुल्क का निर्धारण किया जाय। इसका ब्यौरा संधारित किया जाय।

(ii) Open Gym एवं CCTV की व्यवस्था की जाय। सामान्य नागरिक/पर्यटक को आकर्षित किया जाय।

(iii) पर्याप्त अग्नि सुरक्षा, अन्य आपदा यथाः भूकंप/आँधी/बिजली तड़कना का कार्य तथा जागरुकता संबंधी निदेश गार्ड/कर्मी तथा आगन्तुकों को दिया जाय।

21. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–46–सह पठित ज्ञापांक–2393, दिनांक–14.08.2020 द्वारा निर्गत निर्देश प्रभावी होगा।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0बजट–11/2020**–670 दिनांक– 04/11/2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/राँची/ बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/गुमला/ देवघर/बोकारो/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0बजट–11/2020**–670 दिनांक– 04/11/20

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/गोड्डा/ सिमडेगा/ देवघर/ बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों के रख–रखाव कार्य का प्रमंडलवार उप–आवंटित भैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1	नेपाल हाउस एवं योजना भवन, राँची का रख–रखाव एवं सौर्न्दयीकरण कार्य	27.000	12.000	15.000	27.000
	2	राजभवन परिसर, काँके, राँची का रख–रखाव कार्य	30.000	8.000	22.000	30.000
	3	प्रोजेक्ट भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव कार्य	26.917	10.835	16.082	26.917
	4	एम0डी0आई0 भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव कार्य	14.024	5.000	9.024	14.024
	5	एफ0एफ0पी0 भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव कार्य	11.730	5.321	6.409	11.730
	6	टी0ए0 डिवीजन भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव कार्य	9.337	4.000	5.337	9.337
	7	ईजीनियर्स हॉस्टल भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव कार्य	13.240	5.000	8.240	13.240
योग :–			**132.248**	**50.156**	**82.092**	**132.248**
गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	1	जैव विविधता पार्क, गोड्डा का रख–रखाव कार्य	39.732	18.000	21.732	39.732
	2	**जैव विविधता पार्क, गोड्डा में आंशिक निर्माण कार्य**				
	क	एम्पीथीयेटर का निर्माण (शैक्षणिक कार्य हेतु)	8.956	3.582	5.374	8.956
	ख	औषधीय पौधों के सेक्सन का विस्तार, विभिन्न प्रकार के साग का रोपण एवं तार जाली का घेरान	4.000	1.600	2.400	4.000
	ग	सी0सी0टी0भी0 कैमरा पूर्ण सेट सहित पार्क में लगाने के लिये	0.984	0.000	0.984	0.984
योग :–			**53.672**	**23.182**	**30.490**	**53.672**
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	1	वन भवन कैम्पस, डोरण्डा का रख–रखाव कार्य	10.000	5.000	5.000	10.000
योग :–			**10.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	1	जय प्रकाश उद्यान, सिमडेगा का रख–रखाव कार्य	11.393	5.303	6.090	11.393
योग :–			**11.393**	**5.303**	**6.090**	**11.393**

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\RSP\OA\Advance Work\Park\Park ka Rakh Rakhao

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
देवघर वन प्रमंडल, देवघर	1	**करनीबाग पार्क, देवघर का रख–रखाव एवं आंशिक निर्माण कार्य**				
	i	सार्वजनिक शौचालय का निर्माण–1	7.000	2.800	4.200	7.000
	ii	सौन्दर्यीकरण (गजीबो का निर्माण–4@2.50 लाख)	10.000	3.000	7.000	10.000
	iii	सौन्दर्यीकरण (कलवर्ट का निर्माण–2@10.00 लाख)	20.000	8.000	12.000	20.000
	iv	पेयजल सुविधा हेतु ओभरहेड टेंक का निर्माण	2.500	1.000	1.500	2.500
	v	सुरक्षा व्यवस्था	2.000	2.000	0.000	2.000
	vi	गार्डन का रख–रखाव एवं अनुरक्षण	2.750	1.650	1.100	2.750
	vii	पार्क की साफ–सफाई एवं अनुरक्षण कार्य	1.500	0.900	0.600	1.500
	viii	पौधों के रख–रखाव हेतु शेड प्लेटफार्म एवं बाथरुम का निर्माण	8.000	4.000	4.000	8.000
	ix	अन्यान्य आकस्मिक व्यय	0.500	0.300	0.200	0.500
	2	करनीबाग पार्क, देवघर में कुर्सी, ग्रिल एवं पैदल पथ का पेवर इत्यादि को तोड़ने एवं सरकारी सम्पति को भारी नुकसान पहुँचाने के कारण उसके मरम्मति हेतु	6.719	3.000	3.719	6.719
योग :–			**60.969**	**26.650**	**34.319**	**60.969**
बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	1	चन्दनकियारी पार्क, बोकारो का रख–रखाव कार्य	14.636	5.881	8.755	14.636
योग :–			**14.636**	**5.881**	**8.755**	**14.636**
सकल योग :–			**282.918**	**116.172**	**166.746**	**282.918**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-11/2020/670 दिनांक - 04-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55664	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	5,015,600.00 रुपये पचास लाख पंद्रह हजार छः सौ
2	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55665	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION	2,318,200.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार दो सौ

योग: 7,333,800.00

क्रमिक योग: रुपये तीहत्तर लाख तैतीस हजार आठ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या : 01/YB-11/2020/670 दिनांक - 04-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55666	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	500,000.00 रुपये पाँच लाख
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55669	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	530,300.00 रुपये पाँच लाख तीस हजार तीन सौ
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55671	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,665,000.00 रुपये छब्बीस लाख पैसठ हजार

योग: 3,695,300.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड दस लाख उन्तीस हजार एक सौ 11,029,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या.- 01/YB-11/2020/670 दिनांक - 04-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55672	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	588,100.00 रुपये पॉच लाख अठयासी हजार एक सौ
7	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55675	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	8,209,200.00 रुपये बयासी लाख नौ हजार दो सौ
8	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	55676	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION	3,049,000.00 रुपये तीस लाख उनचास हजार

योग: 11,846,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अठाइस लाख पचहत्तर हजार चार सौ 22,875,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	55678	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			
10	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	55679	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	609,000.00 रुपये छः लाख नौ हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			
11	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	55680	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	3,431,900.00 रुपये चौतीस लाख इकतीस हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA			

योग: 4,540,900.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड चौहत्तर लाख सोलह हजार तीन सौ 27,416,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या -	01/YB-11/2020/670	दिनांक -	04-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	55681	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	875,500.00 रुपये आठ लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)

Centeral Scheme : NA

योग: 875,500.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड बयासी लाख इनकानवे हजार आठ सौ 28,291,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 59.97.150.42 Run Date: 4/11/2020